न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

प्रार्थना पत्र सं. 4/2021

निर्णय दिनांक 15.2.2021

1.ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी क़स्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2.महेंद्रसिंह पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी क़स्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

3.राजकरण पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी क़स्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

4.हवासिंह पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी क़स्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

5.होंशियारसिंह पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी क़स्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128
राज. भू राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट - वास्ते प्रार्थीगण

2.पैरोकार राज

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज. भू राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि है कृषि भूमि खसरा नं. 255 तादादी 0.9600 हेक्टेयर रोही राजगढ़ ग्रामीण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है, यहि विवादित कृषि भूमि है, प्रार्थीगण अकेले विवादित कृषि भूमि के खातेदार कास्तकार हैं विवादित कृषि भूमि के पड़ोसी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण अपनी मजदूरी के सिल सिले में बाहर रहते हैं जिस कारण अपनी खातेदारी की विवादित कृषि भूमि की हर समय देख भाल नहीं कर सकते हैं जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित

भूमि की चारों सीमाओं के पास के खातेदारों ने विवादित कृषि भूमि की सीमाओं को नष्ट कर सीमा चिन्ह समाप्त कर दिये व प्रार्थीगण के खातेदारी की विवादित भूमि पर नाजायज कब्ज़ा करना चाहते हैं व समझाने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते हैं, जिस कारण प्रार्थीगण ने विवादित कृषि भूमि की अनुभवी कर्मचारियों की टीम से पैमाइश करवा कर चारों सीमाओं पर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु अप्रार्थी के यहां प्रार्थना पत्र पैश किया व निर्धारित फ़ीस जमा करवाई व अप्रार्थी ने गिरदावर हल्का के नेत्रित्व में विवादित कृषि भूमि की पैमाइश करवायी मगर पत्थर गढ़ी बिना अदालत वाला के आदेश करवाये जाने से इन्कार कर दिया जिस कारण यह प्रार्थना पैश किया जा रहा है आदि आदि पैश किया, अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई राज्य हित नहीं होना जाहिर किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पैश नहीं हुआ है अतः साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विवादित कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा स्वयं का शपथ पत्र पैश किया है जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वे पैमाइश के अनुभवी गिरदावर व पटवारियों की टीम गठित कर स्वयं या नायब तहसीलदार की मोजुदगी में विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 255 तादादी 0.9600 हेक्टेयर रोही राजगढ़ ग्रामीण तहसील राजगढ़ जिला चूरू की पैमाइश कर चारों सीमाओं की पुख्ता पत्थर गढ़ी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाई जावे । आदेश की पालना हेतु अप्रार्थी के नाम परवाना जारी किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)